UPUN010035162026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1468 / 2026

अजीत निषाद पुत्र विपिन निवासी–16 / 111 मिश्रा कालोनी थाना गंगाघाट जिला उन्नाव।

.....अभियुक्त।

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उन्नाव।

.....विपक्षी।

10.06.2026

अभियुक्त अजीत निषाद की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र अपराध संख्या–262 / 2026, अर्न्तगत धारा–69 BNS थाना–गंगाघाट, जिला उन्नाव में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

वादिनी पीड़िता की तहरीर के अनुसार अजीत पुत्र विपिन उससे 8 वर्षो से विवाह करने को कहकर शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा। समस्त बातें जब उसने उसके घर वालों को बतायीं तो वे लोग उसके चरित्र को गन्दा कहने लगे। जब उसने स्वंय को गर्भ से होना बताया तो अजीत ने कोर्ट मैरिज करने की बात कर अपने घर पर बुलाया तथा जबरन दवा खिलाई एवं कहा कि दवा खा लेने के बाद कोर्ट चलेगें। उसके बाद अपनी बात से मुकर गया तथा उससे विवाह करने से इंकार कर दिया। उसके साथ धोखा किया है। अतः आवश्यक कार्यवाही की जाये।

अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र में यह कथन किया गया कि वह निर्दोष है तथा उसे मुकदमें में गलत तरीके से रंजिशन फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह जमानत की शर्तो का दुरूपयोग नहीं करेगा। उसका यह प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत है। उसकी ओर से कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय में न तो दिया गया है, न विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए उसे निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया है। पीड़िता के धारा 183 बी0एन0एस0एस0 के बयान के अनुसार उसका 8 साल से अजीत से अफेयर है तथा वह अजीत से प्यार करती है। 4 साल से उनके बीच फिजिकल रिलेशन भी बने। एक दिन उसे धोखे से घर बुलाया तथा शारीरिक सम्बन्ध बनाये, उससे बोला कि उसके भाई की शादी हो जायेगी, तब वह शादी कर लेगा। इसी बात पर वह अजीत से शारीरिक सम्बन्ध बनाने को राजी हुई। अजीत 4 साल तक सम्बन्ध बनाता रहा। भाई की शादी होने पर जाब लग जाने का बहाना किया तथा बाद में जहॉ उसकी शादी तय हुई है, वहॉ शादी करने की बात कहकर पीड़िता के साथ शादी करने से

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.10 16:26:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Unnao.

अभियुक्त द्वारा इंकार कर दिया गया। केस डायरी के पर्चा नं0 5 पर पीड़िता के फूफा रामविलास, चाची नीतू, चाचा प्रकाश, बुआ कलावती, भगवानदीन, कन्हईलाल का बयान अंकित है। इन साक्षीगण ने पीड़िता का अभियुक्त के साथ प्रेम सम्बन्ध होने तथा अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ शादी करने से मना करने के तथ्य की पुष्टि की है। अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये हैं जो अत्यन्त गंभीर प्रकृति का अपराध है।

अभियुक्त की ओर से तर्क है कि कथित घटना का कोई दिनांक व समय प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी ने जो आरोप उसके विरूद्ध दवा खिलाकर गर्भपात कराने का लगाया है, वह पुलिस जांच में असत्य पाया गया तथा धारा 89 बी0एन0एस0 का लोप किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी ने उस पर 8 वर्षो से विवाह करने की बात कहने का आरोप लगाया है परन्तु इन 8 वर्षो में वादिनी का उससे कभी कोई विवाद न होना और वादिनी द्वारा थाने जाकर कोई शिकायत न करना भी घटना को सन्देहजनक बनाता है। वह वादिनी को जानता–पहचानता है लेकिन उसने कभी वादिनी को विवाह करने का कोई आश्वासन नहीं दियाय। सत्यता यह है कि वादिनी काफी अरसे से स्वंय उससे विवाह करना चाहती थी और इसको लेकर उस पर तरह–तरह से दबाव बनाती थी तथा विवाह न करने पर फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी देती थी लेकिन उसने वादिनी से विवाह करने से इंकार करते हुए स्पष्ट कह दिया कि वह अपने परिवार वालों की सहमति से ही विवाह करेगा। वह उच्च शिक्षित नवयुवक है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है एवं अपने पिता के व्यवसाय में हांथ बंटाता है। अधिक दिनों तक जेल में रहने से उसका भविष्य बर्बाद हो जायेगा। पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण के समय उसके कोई बाह्य चोट नहीं पायी गयी। वह दिनांक 20.05.2026 से जिला कारागार उन्नाव में निरूद्ध है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में मामले में बिना गुण–दोष पर कोई टीका–टिप्पणी किये हुए जमानत के पर्याप्त आधार है तथा जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अजीत निषाद द्वारा अपराध संख्या–262/2026, अर्न्तगत धारा–69 BNS थाना–गंगाघाट, जिला उन्नाव में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1468/2026, स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0–पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र व इतनी ही धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–10.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
[J.O. Code–UP 6552]
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

अजय